Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 24-08-2005
Participants : Bhavani Rajenthiran Smt. M.S.K.,Maheshwari Smt. Kiran,Yadav Shri Mitrasen,Mane Smt. Nivedita,Lagadapati Shri Rajagopal,Pateriya Smt. Neeta,Gudhe Shri Anantrao,Veerendra Kumar Shri M. P.,Satheedevi Smt. P.,Singh Deo Smt. Sangeeta Kumari,Mehta Shri Alok Kumar,Tirath Smt. Krishna,Nahata Smt. P. Jaya Prada,Gowda Dr. (Smt.) Tejasvini,Thakkar Smt. Jayaben B.,Nayak Smt. Archana,Chandrappan Shri C.K.,C.S. Sujatha Smt. ,Senthil Dr. R,Singh Smt. Kanti

>

Title : Further discussion on the motion for consideration of the protection of women from Domestic Violence Bill, 2005 moved by Smt. Kanti Singh on 23rd August, 2005 (Motion adopted and Bill passed).

श्री आलोक कुमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक 2005 पर मैं अपनी बात को जारी रखते हुए यह कहना चाहता हूं कि देश में जितने महान नेता, समाज सुधारक हुए हैं, उन सभी ने इस बात की वकालत की कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। जीवन की गाड़ी महिला और पुरा नामक दो पहियों पर चलती है। सिद्धांतों में ऐसी बातें अनवरत कही जाती रही हैं, लेकिन व्यवहार में जो अंतर है, उसकी जड़ में मनुवाद है। मनुवादी व्यवस्था में पशु, शुद्र और नारी को एक ही स्तर पर रख कर तोला गया है। उस समाज ने इन कुरीतियों को लंबे समय तक ढोया है और अभी तक जारी रखने का काम किया है। इसके लिए मनुवादी व्यवस्था सबसे अधिक दोाी है। मनुवादी व्यवस्था से ऊपर उठकर हमें सोचना होगा। इस देश में और पूरी दुनिया में इस पर रेवेल्यूशन है। अभी मैं वैनेजुएला के अंदर युवा महोत्सव में भाग ले कर आया हूं। वहां पर भी ऐसे विाय पर बहुत गहन चर्चा हुई है। मैं इस देश और इस एक्ट के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि इसे स्त्री और पुरा की लड़ाई नहीं माना जाना चाहिए। यह एक अलग व्यवस्था की लड़ाई है। यह मनोविज्ञान की लड़ाई है। इसे इस रूप में लिया जाना चाहिए। दिल्ली में प्रोजेक्ट रक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया cè[MSOffice60]।

यह बहुत ही ऐप्रीशिएट किए जाने लायक व्यवस्था है। इस तरह की व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए। शिक्षण संस्थानों और विभिन्न तरह के संस्थानों में महिलाओं को सैल्फ-प्रोटैक्शन के लिए ऐसे प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए ताकि इमरजैंसी में उनका यह हुनर काम आ सके। इस क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों को सक्रिय बनाने की जरूरत है। यह मामला सामाजिक समस्याओं और रूढ़िवादी मानसिकता से ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए लोगों को जागृत करने की जरूरत है। ऐसे कार्यक्रमों में अच्छी स्वयंसेवी संस्थाओं को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए समाज को जागरूक किया जाना चाहिए। जहां कहीं घटना होती है, उसके प्रतिकार स्वरूप पूरे समाज को खड़ा किए जाने की आवश्यकता है। अदालतों में हमेशा तकनीकी मापदंडों पर फैसले किए जाते हैं। लेकिन इस तरह के केसेज़ के लिए सदन के माध्यम से नियम बनाए जाने चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके सबूत स्पट रूप से नहीं दिए जा सकते। वैसी स्थिति में मानवीय आधार भी बनाए जाने की आवश्यकता है। गरीब महिलाओं के आंसू कपोलों पर ही सूख जाते हैं। सीआरपीसी एक्ट और विभिन्न एक्ट में जो प्रावधान दिए गए हैं, वह अभी भी अमीरों की ही लड़ाई है। अगर आप सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और गांव की अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोगों की बात करें, तो वहां इस तरह की प्रताड़ना रोज की कहानी है। इस एक्ट में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं की शिकायतों को दर्ज किए जाने की पूरी सुनिश्चितता हो, क्योंकि महिलाएं संकोच और लज्जावश पुलिस स्टेशन जाने से हिचकिचाती हैं। उनके लिए प्री-ऐडवोकेसी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि पुरा प्रधान समाज में पैसा और सत्ता उसके हाथ में होती है। प्रताड़ना की शिकार होने की स्थिति में महिलाओं के पास पैसे नहीं रहते जिससे वे कोर्ट में जाकर आगे की लड़ाई लड़ सकें। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिना किसी मैनीपुलेशन के दोाी लोगों पर कार्यवाही हो, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस दायरे में इस एक्ट को संशोधित कर और सभी बातों का पूरा ख्याल रखते हुए कार्य किया जाना चाहिए। एक्ट का दुरुपयोग न हो सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए उसे ढंग से बनाया जाना चाहिए, नहीं तो कल को पुरा प्रोटैक्शन एक्ट लागू करने की आवश्यकता भी सदन को पड़ सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया, श्रीमती कांति सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण एक्ट को सदन में लाकर पूरे समाज को नई दिशा देने का काम किया।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस एक्ट का भरपूर समर्थन करता हूं।

(Shri Varkala Radhakrishnan *in the Chair*)

15.14 hrs.

SHRIMATI M.S.K. BHAVANI RAJENTHIRAN Mr. Deputy-Speaker, Sir, first of all, I thank you very much for giving me this opportunity to say a few words on the Protection of Women from Domestic Violence Bill, 2005.

Sir, there is a saying in Tamil: *Mangaiyarai Pirappadharke Nalla Madhavam Seidhida Vendummamma.*

The patriotic poet of the pre-Independence days, hailing from Tamil Nadu, Thiru Kavimani Thesiya Vinagagam Pillai has rendered this couplet, which means that 'one should have been blessed by the Almighty, the creator to be born as woman.'

I happily say that the UPA Government, under the able leadership of Shrimati Sonia Gandhi and the hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, has honoured the womenfolk by bringing forward this Bill, and of course, I support this Bill on behalf of our DMK party[k61].

[pkp62]

At the same time, we have to admit the fact that some points mentioned in the Bill should be given more seriousness. Then only the genuine aim of this Bill can be achieved by the UPA Government.

Though the Bill clearly states all the protective measures against domestic violence, we feel sorry to say that in practice it is not so. We all very well know that in ancient times women were given very honourable position and were treated with great respect. They even worked as ambassadors and advisors in the Courts of various Kings'- for example, female poets like Avvaiyar and Kakaipadiniyar in Southern part of our country. But in the middle period, women were ill treated. They were used only as enjoyable objects for men folk. They were actually slaves in rich people's houses and in the houses of their husbands. Usually their husbands would bow with both hands folded in front of Goddesses and pray for their welfare. At the same time, with the same hands, they would beat their wives at homes. At some places, women were compelled to burn themselves when their husbands died. At that time, our great Rajaram Mohan Roy protested against this practice of burning ladies

when they lost their life partners. Even now it is happening but for different cause, that is, dowry - the most unacceptable crime prevailing in our society. Great leaders like Mahatma Gandhi, Rajaji, Ee.Ve.Ra. Periyar fought very much against the social evils committed against ladies by men-folk. In spite of all the efforts made by our leaders, the mental make-up of our people has not changed as it should have.

In the Bill, it is clearly stated that, information about any domestic violence should be immediately passed on to the concerned protection officer. But, the people - both learned and illiterate - try to hide the occurrence of any domestic violence and thus women folk would be prevented from getting the protection from this Act.

Though the Bill at the documentary level is very good, implementation is the only key to get an assured success of this Act. To get this assured success, I would like to suggest a concept based on three 'As'. These three 'As' are: Awareness, Authority and Action. Our UPA Government should earmark a good budget to promote awareness among women through video, media and solid campaign by voluntary services. Secondly, with the co-operation of the State Governments, our Central Government should create specific authority legally empowered to rescue the women whenever atrocities against women are reported. Special police force should be formed exclusively to look into the difficulties caused to the women due to domestic violence.

I would also like to suggest that persons, who have made special and notable contributions in liberating women socially, should be honoured at the national level. This award could be of a high stature like Bharat Vibhushan or Bharat Ratna or like that. This will go a long way to motivate all those individuals and NGOs who are interested in women's welfare. This award could be considered for officers and other Government employees also who make singular contribution in the matter of protecting women against domestic violence.

Sir, empowerment of women is the real shield which can protect women against domestic violence. Forming of self-help groups is an appreciable way in empowering women economically and socially. I proudly say that in our Tamil Nadu, our great leader Dr. Kalaignar formed a self-help group first in 1989. During his regime only, he brought an Act to appoint only lady teachers in elementary school level, that is, first standard to fifth standard. This Act also was implemented in getting Government posts also. Thus the women are empowered in Tamil Nadu. In spite of all these efforts made by various leaders and all the protective measures stated in this Bill, women are suffering from dowry demands; women suffer if they give birth to female babies; women employees suffer eve-teasing and physical and mental harassment by their officers[pkp63].

This pathetic position should change.

MR. CHAIRMAN : Tamil Nadu is governed by a lady!

SHRIMATI M.S.K. BHAVANI RAJENTHIRAN : The Tamil Poet Bharati, who inflamed the spirit of freedom from the foreign yoke has rendered this couplet:

"Maadhar Thammai Izhivu Saiyum Madamaiyai Koluththuvom".

It means, we should totally demolish the evil practice of disgracing and demeaning the womanhood.

So, I insist that the Government should form a committee at the village level for the successful implementation of this most important Act, to save women from domestic violence.

Our UPA Government, under the appreciable leadership of Shrimati Sonia Gandhi, has passed the Bill for giving equal share in the property for women. Self-Help Groups are encouraged by our Government. When the Rural Employment Guarantee Bill was passed here, Shrimati Sonia Gandhi has very well spoken about 33 per cent reservation in employment. We further hope that the Bill giving 33 per cent reservation for women in legislatures will be brought forward in this House very soon.

By all means, we, from the DMK Party, support this Bill with the hope that it will surely help the women to protect themselves from domestic violence.

MR. CHAIRMAN: Now, Shrimati Archana Nayak.

You can come to the front, if you find difficulty in speaking from there.

Anyhow, ladies are given the front place! The Bill also gives such a position; and so, you can come to the front.

All women Members who speak on this Bill can come to the front and speak; their speeches will be recorded from the front seats.

SHRIMATI ARCHANA NAYAK Sir, thank you for giving me an opportunity to participate in the much-awaited discussion on Protection of Women from domestic Violence Bill, 2005. On behalf of the Biju Janata Dal and our leader and the Chief Minister of Orissa, Shri Naveen Pattnaik, I rise to support the Bill.

It was the Father of the Nation, Mahatma Gandhi who said that ‘a society should be judged according to the way in which it treats its women and its minorities’. Therefore, the problem that this Bill addresses is very fundamental.

Domestic violence against women happens not only in the slums but also in the apparently civilised homes of the educated middle class families as well as in the well-protected mansions of the rich and the powerful. Such violence mostly takes place in the closed privacy of a home and the victim is often silent about her suffering due to family pressure or fear or ignorance or the absence of any help or support. In a condition of

helpless loneliness the victim loses her voice to articulate her suffering, she loses her courage to protest, to complain and to resist. Even her natural will power for self-protection fails to assert itself.

Domestic violence against women is not confined to marital relationship alone. Young girls, sisters, spinsters, widows, deserted and dependent women living on the margins of the family, are often subjected to violence in various forms, most of them publicly invisible. So far as marriage is concerned, we are generally more worried about the sanctity of its form rather than the reality of its content. And this is one of the reasons why many women are constrained to tolerate the intolerable.

This Bill is a strong step in the right direction. It has many new provisions. For me, the most significant point concerns the definition of domestic violence. Now, domestic violence includes physical and sexual injuries as well as verbal, emotional and economic abuse. We all know that language can be a very destructive weapon of violence. The acidity of abusive language can be as painful and damaging as aggressive physical behaviour. So, it gives me deep satisfaction to note that the Bill addresses this aspect of domestic violence, which had not been properly dealt with in the past[R64].

[R65]

While supporting the Bill, I want to make certain suggestions. There have been instances where the parents and the brother force the grown-up unmarried girl in the family into prostitution to earn money. The helpless girl then becomes a commodity in the hell of the flesh-market. I suggest that stringent provision should be made in the present Bill to punish such culprits.

Disabled women suffer from a double disadvantage: Apart from their being women, they are also physically or mentally challenged. Such women constitute a special category. Many women, who are physically or mentally challenged, have been sexually abused by close relatives. For example, many of the disabled women in Orissa, who constitute 50 per cent of the 40 lakh disabled population in the State, are increasingly becoming victims of domestic violence. I, therefore, suggest that there should be a special provision in the Bill to award maximum punishment to such perpetrators of violence.

The Bill is silent on violence committed on a maid servant, living within the four walls of the family. There should be some provision in the Bill for such cases.

Clause 8 of the Bill states that the expenditure with regard to the appointment of Protection Officers in each district shall be the responsibility of the respective State Governments. I want to suggest that the Central Government should also contribute towards this expenditure because many State Governments may not be in a position to take this financial responsibility on their own. Financial provision is an important aspect for the practical implementation of law. Therefore, the concerned expenditure should be the joint responsibility of both the Central and the State Governments for successful implementation of the present Bill.

Laws alone are not enough to counter domestic violence. What would the law do with regard to Imrana's Father-in-law who raped her, though she is the mother of his five grand children? Probably, not much. We need to strike at the root cause of such violence, which is: the feudal mentality of patriarchy.

As a society we need to internalize the basic moral idea that human relationship is not a form of property ownership. For this to happen, both women and men have to work together to create the right kind of social atmosphere in which respect for the individual becomes a fundamental value in practice. Therefore, more and more men should be encouraged to get involved in cooperative efforts to counter domestic violence. The Government can and should patronize such efforts. Gender ethics should be made a compulsory course in our school curriculum.

Therefore, I request the hon. Minister of Law and Justice to give enough strength and accessibility to the new law to deal with domestic violence against women effectively. The new law should create a mechanism under which women in any part of the country and belonging to any social or economic group can readily get access to legal redress.

श्रीमती किरण माहेश्वरी महोदय, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी की आरे से इस बिल का समर्थन करती हूँ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने हमें आगे आकर बोलने का अवसर दिया cè[r66]।

[c67]

आप ऐसे अवसर हमेशा ही दिया कीजिए। ...(व्यवधान) अभी तो सबसे आगे हम ही हैं, हम से ज्यादा यहां आगे कोई नहीं है।

MR. CHAIRMAN : I am fully aware of the consequences, that is why I have allowed it.

श्रीमती किरण माहेश्वरी : हम चाहते है कि आप हमेशा महिलाओं को आगे आकर बोलने का मौका दें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि घरेलू हिंसा पर महिला संरक्षण के संदर्भ में इस सदन में चर्चा हो रही है और चर्चा के दौरान हमारे बहुत सारे पुरूा भाइयों ने, जो यहां मौजूद हैं, समर्थन किया, लेकिन मुझे इसका दुख है कि चर्चा के दौरान पुरूा भाइयों ने इतना पार्टिसिपेशन नहीं किया, जितना कि महिलाओं ने किया।...(व्यवधान) मौका नहीं मिला ऐसा कभी नहीं हो सकता। घरेलू हिंसा के संदर्भ में जो महिला सरंक्षण विधेयक रखा गया है, उस संदर्भ में कहना चाहती हूं कि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आती हूं जो दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी क्षेत्र है और उस आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं के ऊपर बहुत तरह के उत्पीड़न होते हैं और घरेलू हिंसा के बहुत सारे उदाहरण सामने आए हैं। हम लोग इससे बहुत चिंतित हैं। इस बारे में जो हमारी सोच है, ऐसे समय में, जब इसकी आवश्यकता है उन महिलाओं को आगे लाने की, और घरेलू हिंसा जो दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उससे उनको किस तरह से प्रोटेक्शन मिल सके, इस संदर्भ में जो बिल यहां रखा गया है, कानून बनाने का फैसला किया गया है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं इसका आदर करती हूं।

हमारे यहां घरेलू हिंसा बहुत व्यापक रूप से विद्यमान है। किंतु जनसाधारण क्षेत्र में यह अधिकतर अदृश्य रहती है। जहां किसी सिक स्त्री के साथ उसके पति या नातेदार द्वारा क्रूरता की जाती है, वहां भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (क) के अंतर्गत वह अपराधी होता है। वह सिविल विधि संपूर्ण सम्प्रवृत्ति या समाधान नही है। यह सभ्यता की निशानी नहीं है, लेकिन आज के सभ्य समाज की यह एक कड़वी सच्चाई है कि जहां हमारी महिलाएं सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा की शिकार होती है, और यह धारणा गलत है कि इस तरह की घटनाएं केवल ग्रामीण क्षेत्र या आदि वासी क्षेत्रों में ही होती हैं। जब हम आंकड़े उठाकर देखें, तो गांवों में कम और शहरों में ज्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि एक नई तरह की आधुनिक मानसिकता लोगों के अंदर आई है और उस आधुनिक मानसिकता में समानता की बात आती है। उस समानता की बात से ही, खासकर घरेलू हिंसा शुरू होती है, ऐसा मुझे लगता है। यह देश जो सीता और द्रौपदी का देश है, हमेशा पुरूा प्रधान समाज में रहते हुए महिलाओं के ऊपर

जब भी किसी तरह की हिंसा हुई, उस पर उसने आवाज नहीं उठाई। उसने हमेशा इस बात को सोचा कि शायद वह उसके पति का प्रेम है। अगर उसने उसे मारा-पीटा है, तो वह उसका प्रेम समझ रही है तथा वह उसके बारे में आवाज नहीं उठाती है। इस देश के अंदर कभी भी इसे हिंसा के रूप में नहीं लिया गया। आज आधुनिकता की बात आती है, तो आधुनिक परिवेश के अंदर इसे हिंसा के रूप में लिए जाने पर विवश हम विवश हो गए हैं, क्योंकि आज स्थिति ही इस तरह की उत्पन्न हो गई है। आपने इस बिल के अंदर यह बात रखी है कि

> "Provided that an aggrieved wife or female living in a relationship in the nature of a marriage may also file a complaint against a relative of the husband or the male partner."

इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्ति करना चाहूंगी कि हमें इससे सावधान रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पत्नी को वह दर्जा दिया गया है क्योंकि वह पति के घर में सात फेरे लेकर आई है। अगर यह कहा जाए कि पत्नी के साथ कहीं घरेलू हिंसा हुई है, यदि कहा जाए कि कोई भी रिलेशन, पति और पत्नी के अलावा, रिलेशन मेंटेन होता है, तो मुझे लगता है कि यह आधुनिक परिवेश को बढ़ावा देने वाली बात होगी, जहां बिना शादी किए, बिना सात फेरों के दो व्यक्ति साथ में रहते हैं और उसे घरेलू हिंसा में लिया जाए, तो उसे पत्नी के अधिकारों के साथ एक तरह से कुठाराघात करना कहा जाएगा। आप इसे किस तरह से लेते हैं, यह एक अलग बात है। मेरा विचार यह है कि कम से कम जो विधेयक यहां रखा गया है, उस विधेयक के अंदर हम इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं इसका दुरूपयोग न हो जाए, यानी इसका मिसयूज न हो, इस बारे में भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए[c68]।

[p69]

इस विधेयक में अनेक अच्छे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग न हो, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है। दूसरे विाय के बारे में आपने कहा कि संरक्षण अधिकारी लगाएंगे, आपने इसमें कहा है कि संरक्षक अधिकारी, जहां तक संभव है महिलाएं होंगी, बल्कि महिलाएं ही संरक्षण अधिकारी हों। अगर ऐसा संभव हो तो वे महिलाओं की समस्याओं को अच्छी तरह से समझ पाएंगी और उन्हें आगे बढ़ाने में हमें और ज्यादा सहूलियत मिलेगी। आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से कहा है, जैसा मैंने पहले कोट किया था कि इसमें उन स्त्रियों का समावेश किया जाएगा जो दुर्व्यवहार के साथ, नातेदारी में हैं या रही हैं, घरेलू हिंसा की अभिव्यक्ति, वास्तविक दुर्व्यवहार या धमकी या उसके अलावा दुर्व्यहार को, जो शारीरिक, मौखिक, भावात्मक या आर्थिक हैं, जो ऑलरेडी आईपीसी धारा के तहत इन्कलूड हैं और जिसके अंदर कार्रवाई होती है।

आपने शैल्टर होम, आश्रय गृह के संदर्भ में भी कहा - यह बात वास्तव में बहुत अच्छी है। जब घरेलू हिंसा होती है, महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, घर से कदम बाहर निकालती हैं तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता - न वे पीहर जा सकती हैं और न कहीं और जा सकती हैं। अगर आश्रय घर, शैल्टर होम हों तो उनका संरक्षण हो सकता है। यह बात मुझे अच्छी लगी। निश्चित रूप से महिलाओं के लिए आश्रय गृह बनाने चाहिए। केरल जैसे सौ प्रतिशत साक्षरता वाले क्षेत्र को भी लें, तो जहां सौ प्रतिशत साक्षरता है, यद्यपि वहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी आई है लेकिन इन सबके बावजूद केरल में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। मैं इसका आंकड़ा आपके सामने रखना चाहती हूं। केरल में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की घटनाओं में मानसिक उत्पीड़न, रुपए-पैसे के मामले में अनदेखी और यौन उत्पीड़न शामिल है। सर्वेक्षण में शामिल 40 परसेंट महिलाओं का मानना है कि उनके साथ कई तरीक से घरेलू हिंसा होती है, 11 परसेंट महिलाओं का बचपन से यौन उत्पीड़न किया गया है। वहां माताओं की 12 परसेंट बेटियों ने कहा है कि हम भी बचपन में यौन उत्पीड़न की शिकार हुई हैं। अधिकतर महिलाओं ने कहा है कि उनके साथ घरेलू हिंसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका पति था।

घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण शराब और पत्नी के चरित्र पर शक करना, पैसे की तंगी और दहेज की मांग जैसी बातें होती हैं। स र्वेक्षण से हैरान करने वाली बातें सामने आई है कि लगभग एक-तिहाई महिलाओं का मानना है कि उनको पीटना पतियों का अधिकार था और कुछ का मानना है कि अगर उनका पति पीटता है तो उसका उन्हें जवाब देना चाहिए। कुछ महिलाओं का मानना है कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सुनिश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए इसलिए जो विधेयक यहां लाया गया है उसे लाना अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न से बचाने वाले विधेयक में उन महिलाओं को संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है जिनका प्रताड़ित करने वाले के साथ कोई रिश्ता है या वे एक ही घर में रहते हैं। मैं पुनः आपका ध्यान इस ओर आकर्ति करना चाहती हूं कि इसमें आप सुनिश्चित करें कि इसका दुरुपयोग न हो। पूरी दुनिया में

महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन अपने देश की स्थिति चिंताजनक है। आंकड़े गवाह हैं कि आर्थिक प्रगति के बावजूद महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी सहमत हों, यह आवश्यक है। बारह र्वा पहले संयुक्त राट्र महासभा के एक घोाणा पत्र में लिंग पर आधारित कदाचार की आधिकारिक परिभााा की गई थी। आज मैं सरकार से प्रस्तावित विधेयक के संबंध में कहना चाहती हूं कि जो भी राजनीतिक दल हैं, वे सब इसका समर्थन कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। सभी पार्टियों की जितनी भी महिला सांसदों ने यहां बोला है, इसकी प्रशंसा की है और सभी लोग निश्चित रूप सहमत हैं कि ऐसे ि वधेयक को लाना चाहिए जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण मिल सके। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि जो ि वधेयक हम ला रहे हैं, निश्चित रूप से यह पारित भी होगा, वैसे ही हम सब का समर्थन 33 परसेंट महिलाओं के आरक्षण के संबंध में जो विधेयक आना है, जब महिलाओं को सशक्तीकरण देने की बात आती है, जब महिलाओं को सशक्तीकरण घरेलू हिंसा के माध्यम से देना चाहते हैं, इसी तरह से महिलाओं को सशक्त 33 परसेंट आरक्षण विधेयक देकर बनाएं। मैं यह अपील करना चाहती हूं कि महिला आरक्षण विधेयक भी जल्दी से जल्दी यहां आना चाहिए जिसका समर्थन सर्वदल, सभी पार्टी को मिलकर करना चाहिए ताकि आज के समाज में महिला और पुरुा दोनों ही समाज में उतने ही आवश्यक पुंज हैं, जिस प्रकार हमारे एक भाई ने कहा कि एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं[p70]।

अगर एक पहिया निकल जाए तो गाड़ी सही ढंग से बराबर नहीं चल सकती है। इसलिए समाज के उत्थान के लिए आवश्यक है कि दोनों ही साथ-साथ मिल कर समाज के अंदर कार्य करें। इस दृटि से मेरा मानना है कि महिला और पुरुा दोनों मिल कर काम करते हैं तो इससे महिलाओं को सशक्त करने में सहायता मिलेगी। भारतीय परिवेश में हमेशा से ही कहा जाता है कि यह पुरुा प्रधान समाज है, लेकिन पुरुा प्रधान देश में महिला सहयोगी के रूप में सामने आनी चाहिए, प्रतिद्वंद्वी के रूप में महिलाओं को सामने नहीं आना चाहिए। इसलिए महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के संबंध में इस तरह का विधेयक आना अच्छे समाज का परिचायक है। मेरा मानना है कि महिला आरक्षण बिल भी एक अच्छे समाज का परिचायक होगा।

मैं इस विधेयक का मन से आदर करती हूं और इसके सम्मान में पुरजोर शब्दों से समर्थन करती हूं, लेकिन साथ-साथ जो सुझाव इसमें सुधार के लिए संशोधन के बारे में दिए हैं, मैं उम्मीद करती हूं, माननीय मंत्री जी यहां बैठी हैं, निश्चित रूप से संशोधन करेंगे। आपने आज मुझे महिला संरक्षण के संबंध में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं।

MR. CHAIRMAN : Hon. lady Members, I won't restrict the time for you. You will be given sufficient time. There will be no time restriction for lady Members because the Bill is passed on their words. It must be on record that this Bill was passed on the words of our hon. lady Members.

Now, Shrimati Krishna Tirath, if you want you can come to the front bench and speak. I have no power to compel you.

SHRIMATI KRISHNA TIRATH Mr. Chairman, Sir, thank you. I am comfortable speaking from my seat.

MR. CHAIRMAN: As you please.

श्रीमती कृणा तीरथ : आदरणीय सभापति जी, मैं आज घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। यह बहुत अच्छा विधेयक है और आज के समय में इसकी अत्यंत आवश्यकता भी है। कल भी बहनों ने, श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्रीमती डी. पुरन्देश वरी ने बहुत अच्छी तरह से बताया और आज श्रीमती किरण माहेश्वरी ने बताया, सभी इस विधेयक के पक्ष में बोले। इस विधेयक से महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा, इस बारे में माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है। महिला उत्पीड़न और हिंसा घर के भीतर से ही शुरू होती है। महिला कहीं सुरक्षित नहीं है, न घर के अंदर और न बाहर, इसलिए इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी।

कल मेरे भाई श्री शैलेन्द्र कुमार जी यहां बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि किस कारण वे इस बिल के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति को सामने रख कर बताया कि भारतीय संस्कृति के अनुसार इस विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि घर में महिला पुरुा से ज्यादा ताकतवर हो कर पुरुा को दबाने की कोशिश करेंगी। मैं समझती हूं कि उनकी मानसिकता में कहीं कमी है। ऐसा कोई विचार हमारा इस बिल को लाने का नहीं है और न ही हम इस पक्ष में बोलते हैं। भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए देखें तो जहां महिला को देवी के रूप में पूजा जाता है, देवी दुर्गा और लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता हरे, अगर धन प्राप्त होता है तो लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, लेकिन उस पर आज से नहीं युगो-युगांतरों से अत्याचार हुए हैं। मुझे अपने इतिहास से याद आता है कि माँ के रूप में दुर्गा सब कुछ देने वाली है, लेकन महिाासुर ने अत्याचार किया और माँ ने महिाासुरमर्दनी बन कर उस दानव का दमन किया, तभी वह माँ कहलाईं। मुझे लगता है कि आज इस युग में जो महिलाएं घरेलू हिंसा से उत्पीड़ित हैं, उस उत्पीड़न से बचाने के लिए जो बिल श्रीमती कान्ति सिंह लाई हैं, मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। आज पुरुा और स्त्री दोनों ही माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उसी तरह से यह बिल महिलाओं को शक्ति देगा कि घर में और बाहर उनकी पूजा की जाए क्योंकि महिलाएं घर और बाहर दोनों जगहों में बड़ी अच्छी तरह सच्चाई और ईमानदारी से काम करती cé[i71]।

[rpm72]

सभापति जी, आधुनिक युग में महिलाएं बहुत बड़ी शक्ति हैं। इसलिए उनके साथ जो व्यवहार होता है, वह सही होना चाहिए। एक तरफ तो हम महिलाओं को सृटि का सृजक मानते हैं और कहते हैं कि यदि महिलाएं न हों, तो सृटि आगे नहीं बढ़ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उनका अपमान करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाएं बच्चे को पैदा करने से लेकर बड़ा होने और उसके बाद भी उसकी सेवा में ही रहती हैं। इस प्र ाकार से वे आदमी की सेवा करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ इस प्रकार की हिंसक घटनाएं घटें, यह ठीक नहीं है।

महोदय, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि किस तरह से महिला के ऊपर तेजाब डाल दिया गया क्योंकि उससे कहा गया कि वह अपने मायके से अपने हिस्से के रुपए लेकर आए। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ही इस बिल को लाया गया है। भारतीय संविधान ने पुरुा एवं महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया है। जहां हम सृटि की सृजक हैं, वहां हमें ऐसा अधिकार भी मिलना चाहिए कि हम सृटि को रच सकें। पति द्वारा जो अत्याचार किए जाते हैं या घर के दूसरे लोगों द्वारा महिला के साथ जो अत्याचार किए जाते हैं, उनसे निपटने के लिए उसे शक्तिशाली बनाया जाना आवश्यक है ताकि उसे ऐसे अत्याचारों से बचाया जा सके। ऐसा कानून बनाया जाना आवश्यक है, जो उनकी हिफाजत कर सके।

महोदय, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005 के खंड 3 में संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन, पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य, आश्रय गृहों के कर्तव्य, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य, सेवा प्रदाता और सरकार के कर्तव्य आदि के बारे में स्पट रूप से उल्लेख किय गया है। ये सब चीजें इस विधेयक में रखी गई हैं जिनसे महिलाओं को सुरक्षा एवं शक्ति मिलेगी।

महोदय, पुराने जमाने में महिलाओं के अबला होने के कारण, एक कहावत कही जाती थी कि-

"अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी

आंचल में है दूध और आंखों में पानी"

हम इस कविता को नकारना चाहते हैं। इस बिल के द्वारा हम महिला को इतनी शक्ति देना चाहते हैं कि उसके ऊपर उक्त कविता चरितार्थ न हो सके। यह ठीक है कि वह प्रेममयी रहे, सेवा करती रहे, लेकिन उसके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उन्हें बन्द करने के लिए मैं बहन श्रीमती किरण माहेश्वरी, माननीय सदस्या से सहमत हूं। इस विधेयक के माध्यम से महिलाओं के ऊपर जो घरेलू हिंसा होती है, वह बन्द होगी।

महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि सिर्फ घरेलू हिंसा ही नही, बल्कि घर से बाहर भी महिला के ऊपर जो हिंसा होती है, वह भी बन्द होनी चाहिए। इस बिल के द्वारा पति अथवा परिवार के अन्य लोगों द्वारा किए गए अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का रास्ता मिलेगा, उनके उत्पीड़न से छुटकारा मिलेगा, लेकिन इनके अलावा भी महिलाओं का अनेक प्रकार से उत्पीड़न होता है जिसमें दहेज उत्पीड़न, यौन-शोाण और अन्य हजारों प्रकार से महिलाओं का शोाण समाज में होता है, वह भी बन्द होना चाहिए। यदि हम महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी पिछले दो वाौं के आंकड़ों की तरफ दृटि दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि वा 2001-02 में 1,43,795 केसेस रजिस्टर्ड किए गए, वा 2002 और वा 2003 में क्रमशः 1,43,034 केस और इस वा 1,40,601 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं। दिल्ली में भी महिलाओं पर अत्याचारों और उत्पीड़न की घटनाओं में कोई कमी नहीं हुई है। अभी केरल का उदाहरण दिया गया, जहां पढ़े-लिखे ज्यादा हैं, वहां भी महिलाओं पर हिंसा होती है, लेकिन मैं भारत की राजधानी दिल्ली में देखती हूं कि अभी हाल ही में 15-20 पहले ही भजनपुरा क्षेत्र में शादी हुए एक साल ही हुआ और उसके द्वारा अपने मायके से पैसा लाकर न दिए जाने के कारण उसे बहुत मारा और मारकर पंखे से लटका दिया। जब पुलिस वहां पहुंची, तो शायद उसे पुलिस आत्महत्या का केस बनाना चाहती होगी, लेकिन शायद लड़की वालों की तुरन्त कार्रवाई के कारण वह वैसा नहीं कर सकी। इस प्रकार से महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते है, उन्हें रोकने के लिए इसमें जो संशोधन किए गए हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, उन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। जो महिलाएं गुम हो जाती हैं और बाद में उनसे वेयावृत्ति कराई जाती है, यह भी बन्द होना चाहिए, इस पर पाबन्दी लगाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को, डायन कह कर, पत्थर मार-मार कर मार दिया जाता है। ऐसे अत्याचार बन्द होने चाहिए और ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए भी विधेयक में प्रावधान जोड़े जाएं।

सभापति महोदय, चलती ट्रेनों में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। इस प्रकार की घटना अभी मुम्बई में हुई। दिल्ली में चलती कारों में बलात्कार की घटनाएं हुईं, इमराना केस, ये सब घरेलू हिंसा के ही उदाहरण हैं[rpm73]।

[i74]

ऐसे मामलों में कोर्ट का डिसीजन मिलना चाहिए, न कि फतवे के अनुसार उसे न्याय या अन्याय मिले। ऐसी बहुत सी महिलाएं होंगी, जो बाहर नहीं आ सकती हैं। इमराना जैसी अनेक महिलाएं हैं, जो बाहर आकर अपनी आवाज न उठा सकीं, लेकिन घर के भीतर अन्याय को सहन करती हैं। मुझे लगता है कि इस विधेयक से उन्हें लाभ मिलेगा और वे अपनी आवाज को बुलन्द कर सकेंगी और अन्याय शहरियों से दूर होगा। पिछले वा देश भर में, अलग-अलग भागों में बलात्कार के केस सामने आये। दिल्ली में 525 महिलाओं के साथ बलात्कार के केस हुए। मौलाना आजाद मैडीकल कालेज का भी केस हुआ था, शान्ति मुकुन्द मैडीकल हॉस्पिटल में नर्स के साथ बलात्कार का केस हुआ।

MR. CHAIRMAN : Madam, I have given you unlimited time. There is no restriction for ladies!

… (*Interruptions*)

श्रीमती कृणा तीरथ : एक मिनट में खत्म हो जायेगा। उसे उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन उस उम्र कैद से किसी के ऊपर असर नहीं पड़ा। उसके दो दिन बाद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती कार में जो स्टूडेंट थी, वहां उसके साथ बलात्कार हुआ। उम्र कैद का कोई असर नहीं हुआ, इसका मतलब उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तभी कोई डर या भय उनमें हो सकता है। सामूहिक बलात्कार जैसी चीजें, इस तरह के केसेज़ महिलाओं के साथ होते रहे हैं। महिलाएं न घर में, न दफ्तर में, न खेत में, न खलिहान में, न बस में, न कार में, न ट्रेन में, न मौहल्ले में कहीं सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है कि इन सबको रोकने के लिए ही यह विधेयक लाया गया है, इस विधेयक का मैं समर्थन करती हूं।

भ्रूण हत्याओं की जो बात है, इसे भी इसमें रखा गया है। सोनिया जी, जो यू.पी.ए. सरकार की हमारी चेयर पर्सन हैं, वे ऐसे मामलों पर बहुत ध्यान देती हैं और चाहती हैं कि हम ऐसा बिल लायें, जिससे महिलाओं को पूरी शक्ति मिले, उनका सशक्तीकरण हो, चहुंमुखी सशक्तीकरण हो, चाहे वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीति में भी उन्हें संरक्षण मिले। ऐसा बिल इस समय लाया जा रहा है। मैं केवल इस बिल के बारे में 2-3 चीजें कहना चाहूंगी, जो मेरे सुझाव हैं।

मेरा सुझाव है कि महिला को फ्री लीगल एड मिले, जिस समय उस पर अत्याचार हो, अन्याय हो, क्योंकि उस समय कोई उसका साथ नहीं देता है, न मायके वाला, न ससुराल वाला तो उनको सरकारी तौर पर फ्री लीगल एड मिले। जो वीमेन घर से निकाल दी जाये, जैसे उसके बच्चे निकाल देते हैं, जबकि सब कुछ उसका बना बनाया होता है, उनके लिए ऐसे घर बनें, जिनमें वे रह सकें और सरकार उनको अपनी ओर से कुछ स्टाईपेण्ड दे, जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता, तब तक सरकार उसकी देख-रेख करे। वर्किंग वीमेन हॉस्टल की तरह से उनके लिए रिहैबिलिटेशन सैण्टर्स बनाये जायें और उसका पूरा फंड, गुजारा भत्ता उन्हें मिलना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ हमारी मंत्री श्रीमती कान्ति सिंह जी द्वारा जो विधेयक लाया गया है, मैं इसका समर्थन करती हूं। इसमें जो सुझाव आये हैं, उनको देखते हुए इस बिल को पास करेंगे, पूरा सदन पास करेगा। इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

MR. CHAIRMAN: Now, let us hear a husband-Member. Shri Mitrasen Yadav to speak now. A male Member is speaking. Afterwards, I will call the women Members. Shri Yadav, you can speak now.

श्री मित्रसेन यादव माननीय सभापति जी, मेरा नाम शायद उसमें गलत लिखा है, जरा देखकर उसे दुरुस्त कर लें। आपने इतने महत्वपूर्ण ि वधेयक पर समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

एक बात हमें सोचनी पड़ेगी कि क्या हमारे पारिवारिक जीवन के लिए भी कानून की जरूरत होगी, स्त्री-पुरु के रिश्तों में कानून की जरूरत होगी, भाई-बहन के रिश्ते में कानून की जरूरत होगी। बहुत से ऐसे हमारे सामाजिक रिश्ते हैं, जिनमें कानून नहीं, बल्कि भातृत्व, मातृत्व, भाईचारा जैसी तमाम चीजें काम करती हैं। यहां कोई ऐसा बाप नहीं बैठा होगा, जो अपनी बेटी के साथ किसी प्रकार के अत्याचार को बर्दाश्त कर सके। जब लड़की बेटी रहती है तो उसे भाई और उसका बाप उसे अपनी आत्मा की तरह से मानते हैं और जब वह बड़ी होती है, सयानी होती है तो पति के संरक्षण में जाती है। वहां भी उसे मौहब्बत, ममता और प्रेम मिलता है और संरक्षण मिलता है। जब उसके बच्चे हो जाते हैं, जब वह मां बन जाती है तो ¤ÉSSÉä +ÉÉè® ¤ÉÚfÃä =ºÉä +ÉÉn® näiÉä cé*[i75]

[MSOffice76]

फिर यह सवाल कहां पैदा होता है कि इस उत्पीड़न से उन्हें संरक्षण की जरूरत है। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि इसमें इनकी क्या गलती है यदि खुदा ने इनसे नहीं पूछा कि आप पुरु के रूप में पैदा होना चाहेंगी या महिला के रूप में पैदा होना चाहेंगी। यदि भगवान ने इनसे पूछा होता तो ये अवश्य कहतीं कि हम पुरु के रूप में पैदा होना चाहेंगी। मेरा निवेदन है कि कानून इनके संरक्षण के लिए बनाया जाए, लेकिन हर काम कानून से नहीं होगा।...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी : सभापति जी, प्रोसिडिंग में से इन शब्दों को निकाल दिया जाए।...(व्यवधान)

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKAPURA): Sir, that word should be removed… (*Interruptions*) Without women where is this world… (*Interruptions*)

श्री रवि प्रकाश वर्मा आप लोग इनकी बात नहीं समझ रही हैं। इनकी पार्टी की अध्यक्ष भी तो एक महिला है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH : We are proud to be women… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I will tell you one thing. You can use only parliamentary words. Those words which are unparliamentary will be expunged.

श्री मित्रसेन यादव : हमारे देश में सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। दंगे के समय में चुरकी वाला दाढ़ी वाले का सर काटता है और दाढ़ी वाला चुरकी वाले का सर काटता है। इसमें चुरकी वाले और दाढ़ी वाले की क्या खता है? भगवान ने उन्हें संसार में भेजने से पहले यह नहीं पूछा था कि तुम मुसलमान के घर पैदा होना चाहते हो या हिन्दू के घर पैदा होना चाहते हो। महिला पैदा होना चाहते हो या पुरुा पैदा होना चाहते हो। इसमें हमारी कोई खता नहीं है। इसमें महिला की कोई खता नहीं है। हिन्दू-मुसलमान की कोई खता नहीं है। हमारे समाज में बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, जिनका हम शिकार होते हैं। मानव समाज में पैदा हुई बुराइयों को दूर करने का हमारा दायित्व है। कानून से समाज को बनाना होगा। मैं जानता हूं कि महिलाएं किन कारणों से शोाण का शिकार होती है। महिलाएं आर्थिक गुलामी की शिकार हैं, महिलाएं आर्थिक परतन्त्रता की शिकार हैं, पैतृक सम्पत्ति में भेदभाव की शिकार हैं, अशिक्षा की शिकार हैं, कुरीतियों की शिकार हैं, भ्रूण हत्या की शिकार हैं, परित्यक्तता की शिकार हैं। इन तमाम तरीकों से बचाने के लिए केवल कानून का सहारा ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति और मानवता में भी जागरूकता लाने की जरूरत है। हमारे समाज में कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसी समाज सुधारक संस्थाएं चलनी चाहिए जो महिलाओं के साथ अमान वीयता, क्रूरता और भिन्नता का व्यवहार होता है, उसको दूर कर सकें। उनके प्रति समाज में ममता, मोहब्बत और भ्रातृत्व का भाव पैदा हो सके।

मेरा कहना है कि कानून आप बनाएं, लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसे राक्षस, कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो महिलाओं के साथ कानून के जरिए भी अत्याचार करते हैं। चाहे वह यौन शोाण का मामला हो, चाहे घरेलू शोाण हो, चाहे किसी प्रकार का उत्पीड़न हो। उनके उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन घरेलू उत्पीड़न के लिए जो कानून बनेगा, उसकी कैसी परिभाा होगी और उसमें कैसे सबूत जुटाए जाएंगे? जो मामला क्रिमिनल एक्ट के तहत आता है, उसके तहत कैसे दंडित किया जाएगा। यह भी देखना होगा। इसलिए इस कानून को बनाते समय बहुत सतर्कता और संजीदगी की जरूरत है। ऐसा न हो कि भाई-बहन, स्त्री-पुरुा और मां-बेटे के रिश्तों में और कटुता पैदा हो जाए। कहीं हमारा समाज और अधिक बुराइयों की तरफ न चला जाए। हम इसे बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ ले जाना चाहते हैं[MSOffice77]।

<u>16.00 hrs.</u>

[R78]

वह केवल कानूनों से नहीं होगा बल्कि सामाजिक रिश्तों से होगा। वैदिक काल से महाभारत, रामायण, आज तक जिस संस्कृति की पूजा होती है और जिस पर यह हिन्दु समाज टिका हुआ है, उस संस्कृति पर कलंक न लगने पाए, इसलिए इस विधेयक को बड़ी सतर्कता के साथ लाना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI C.K. CHANDRAPPAN Sir, I support the Protection of Women from Domestic Violence Bill, 2005. This is a very important Bill. It can even be termed as a historic Bill. As I understand, there is no legislation in our country which so far explains or defines what is domestic violence. This legislation, for the first time, gives a very wide definition on domestic violence. I think that will help to protect the rights of the women when they are attacked even in the privacy of their homes.

It is reported that there are 31 per cent of the cases registered related to domestic violence. It is also reported that a very few cases are reported because women are afraid or social taboos are attached to that. So, they will not report all the crimes that are committed at home. This Bill enables women to protect their rights, to seek the help of the legislation and also to take the perpetrators of crime to the courts. These are the positive signs so far as the law is concerned. This is a legislation for which all the women organisations in the country were always fighting for. Probably, the Left Parties always extended support to this cause. Therefore, Sir, I support this Bill. But, when we are supporting this legislation, we have to think also whether the legislation is enough to protect the rights of women. The constitutional provisions are mentioned in the aims and objects of this Bill. They are there. It is a fact that women are shabbily treated. We have been discussing the other day about the problems of children – the child labour. There are innumerable laws to prevent the child labour but child labour is very much prevalent. So, a law is good; it is enabling the concerned people to go to the courts and seek remedy. But the more important thing is perhaps the social awareness, particularly the social awareness of the concerned sections. Women should themselves be aware of the fact that they are oppressed – they are socially and economically oppressed – and if they are aware of that, then this law can be utilised. It is another fact that there should be a political will on the part of the rulers to support the women and those who are suffering. If these three things are combined, namely, the social awareness, the political will, the awareness of the concerned sections that they are victims of certain circumstances, then probably this legislation will be more effective in protecting their rights[c79].

[krr80]

Sir, ours is a traditional Indian society. We always say that women are our goddesses, many of them are *'devis'*. If you look into the *Puranas*, for example, all those *devis* were oppressed in the conditions of the domestic situation prevailing then. The women characters in our *Puranas* – whether it is Sita, Panchali or Rukmini or anybody else – spoke not Sanskrit but they spoke Prakrit. Why was it? It was because according to the ancient law of Manu, the women as well as the *Shudras* were told that – 'You are not supposed to learn Sanskrit'. So, even the *devis* in the Indian *Puranas* were speaking Prakrit. … (*Interruptions*)

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Gargi was speaking Sanskrit. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Shri Chandrappan, do not look behind. You address the Chair.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Gargi was not a *devi.* She was one of the outstanding women intellectuals who could compete with the male intellectuals of that time. I am talking about Indian *devis.* … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Shri Chandrappan, do not look behind. You are addressing the Indian Parliament.

… (*Interruptions*)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, Draupadi was speaking Prakrit. … (*Interruptions*) That was the traditional society's influence. That is perpetrated by feudalism and the society which is traditional, which is feudal and which is also patriarchal, will not easily allow to implement this legislation just because the legislation is adopted.

You see what had happened. *Sati* was perpetrated in Rajasthan. We had seen the case of Roop Kanwar. It had been reported that she was killed by a certain section of people who wanted to build a temple for *sati*, though there was a legislation against *sati*.

What I am trying to say is we support this legislation wholeheartedly. We want the Government to show sufficient political will to implement it. It is a very difficult thing. We wanted the womenfolk in the country to be aware of the fact that they would be enabled by this legislation to get their rights protected. If all these things are going together, then this legislation will make a meaningful change in our society.

With these few words, I extend my wholehearted support to this legislation.

श्रीमती निवेदिता माने सभापति महोदय, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार एक महत्वपूर्ण विाय है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण ि वधेयक, 2005 को सरकार ने संसद में प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करती हूं और कान्ति सिंह जी की प्रशंसा करती हूं। महिलाएं कुल जनसंख्या की लगभग 50 प्रतिशत है परन्तु खेद का विाय है कि कई कानूनों के होने पर भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं रही। उनको एक संर्घा की जिंदगी गुजारनी पड़ती है। शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक उत्पीड़न का शिकार महिलाएं होती हैं। समाज में महत वपूर्ण स्थान होने पर भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। स्त्रियों के प्रति होने वाली शारीरिक व मानसिक हिंसा आज के समय का सबसे ज वलंत मुद्दा है। हिंसा चाहे घरेलू हो, सामाजिक स्तर पर हो, साम्प्रदायिक दंगों का दावानल या युद्ध के दौरान फटने वाले गोले की ज्वाला के रूप में हो, उसकी लपट सबसे ज्यादा औरत को ही प्रभावित करती है। हिंसा के इन रूपों के पीछे उस समाज का दृटिकोण जिम्मेदार होता है जहां से औरत ताल्लुक रखती है। यह चिंतनीय भाव है। औरत के जीवन में हिंसा के सिलसिले की शुरुआत भ्रूण हत्या से ही हो जाती है। वैसे तो हर युग में समाज की चाहत बेटे के प्रति रही है लेकिन इधर वैश्वीकरण के दौर में यह लालसा कुछ ज्यादा ही जोर मारने लगी cè[r81]।

पुत्र के प्रति मोह ने कन्या भ्रूण को मार डालने की लिप्सा को और बढ़ा दिया है। भ्रूण हत्या एक संस्थागत रूप लेता जा रहा है। समाज के विकास में समान भागीदारी निभाने की संभावना को गर्भ में ही खत्म कर देने को बाकायदा एक अभियान का रूप दिया गया है। हमारे देश में नारा दिया जाता था कि आज पांच सौ रुपये खर्च करो, कल पांच लाख बचाओ। हालांकि कन्या भ्रूण हत्या का चलन भारत में ही नहीं है बल्कि हमारे चीन जैसे देश तथा हमारे मित्र देश रूस सहित पूरे विश्व भर में यही स्थिति है। लगता है कि बेटा पालने की लालसा का भी वैश्वीकरण हो चुका है। हमारे कोल्हापुर जिले में जहां से मैं आती हूं, पहनाला तहसील में लड़के और लड़की का जन्म रेश्यो देखा गया। उसको देखने से पता चलता है कि एक हजार लड़कों के पीछे 725 लड़कियां थी, इसलिए यह चिंता का विाय है। अगर इसी तरह से लड़कियों का रेशियो पीछे होता जाएगा तो यह हम सबके लिए चिंता का विाय है। इसलिए इस विधेयक को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। जैसा मैंने पहले कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके विकास के लिए कई कानून बने हैं लेकिन उनके पालन में कमी है। न्याय दिलाने में अपराधी को दंड देने में कई र्वा लग जाते हैं। हमें

इस प्रणाली को बदलना होगा और न्याय और दंड का प्रावधान करना होगा। सिर्फ कानून बना देने से समस्याओं का हल नहीं होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून का कड़ाई से पालन हो और

कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए एक निश्चित अवधि के अंदर कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए क्योंकि हम सब लोग स्त्री के पूजक हैं, यह बात सभी माननीय सदस्यों और बहनों ने कही है। जो उद्योगपति होते हैं, वे सब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और जो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और प्रोफेसर होते हैं, वे सब सरस्वती की पूजा करते हैं। राजनैतिक लोग दुर्गा मां की पूजा करते हैं। सब लोग स्त्री को देवी मानते हैं, उसके सामने नतमस्तक होते हैं तो फिर हमारे ऊपर यह संकट क्यों आता है, यह सोचने की बात है। हमने अखबार में पढ़ा था कि एक पिता ने अपनी लड़की के साथ बलात्कार किया था, यह बात गंभीरता से ली जानी चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यवहार करता है तो उसके ऊपर कड़ी नजर रखनी चाहिए और उसके लिए यह कानून बहुत काम आएगा।

आज के समाज में आवश्यक है कि महिलाएं पुरुाों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें व अपने आप को कम न समझें और पुरुा वर्ग को भी महिलाओं के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। स्त्री, कुटुम्ब, समाज और राट्र का एक आधार स्तम्भ है। जिस राट्र में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार रखने वाली तथा मजबूत विचारों वाली स्त्री होती है, उससे उस राट्र की योग्यता पहचानी जाती है। स्त्री एक घर की इज्जत होती है, हरेक घर की इज्जत होती है। उसे इस विधेयक से आधार मिलेगा तो वह अपने मन और दिमाग से मजबूत हो सकती है। हमारे देश में स्त्री उन्नत होने से कुटुम्ब उन्नत होगा और कुटुम्ब उन्नत होने से देश उन्नत हो सकता है। उसे कानूनी संरक्षण मिले तो वह अच्छा काम कर सकती है, इसी विचारधारा के आधार पर हमारी पार्टी एन.सी.पी. के अध्यक्ष श्री शरद पवार जी ने, महाराट्र में जिस समय वह मुख्यमंत्री थे तो 1994 में उन्होंने महिलाओं के लिए तलाक जैसे फैमिली मैटर्स में कोर्ट की फीस माफ कर दी थी। इससे यह हुआ था कि आम महिलाएं बिना हिचकिचाए कोर्ट में जा सकती थीं। इससे बहुत बड़ा फायदा और समर्थन महिलाओं को मिला[R82]।

महोदय, आज यह आवश्यक है कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में सरकार को काफी काम करना है। शिक्षित, स्वावलम्बी और स्वस्थ महिला को ऐसे कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है।

महोदय, एक और महत्वपूर्ण विाय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्िात करना चाहती हूँ और वह है मीडिया। मीडिया, अर्थात रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में महिलाओं का जो रूप दिखाया जाता है, उसे बदलना होगा। सरकार को इस ओर ठोस कदम उठाने होंगे। पूरी दुनिया में महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, किन्तु अपने देश की स्थिति कुछ ज्यादा ही चिन्ताजनक है। आंकड़े इसके गवाह हैं कि आर्थिक प्रगति के बावजूद महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

घरेलू हिंसा को रोकने के लिए जो विधेयक लाया गया है, मैं उसका तहेदिल से स्वागत करती हूँ। मैं इसके लिए यूपीए की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमती कांति सिंह का अभिनन्दन करती हूँ और महिलाओं की राजनीति में भी समान भागीदारी होनी चाहिए। मैं चाहूंगी कि सरकार महिला आरक्षण बिल जल्द से जल्द संसद में प्रस्तुत करे। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को प्रतिबंधित करने वाले इस विधेयक का, जिसका हमें पिछले दो दशकों से भी ज्यादा समय से इन्तजार था, मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं इसका समर्थन करती हूँ। मैं और मेरी पार्टी, एनसीपी की ओर इसका स्वागत करती हूँ।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।

MR. CHAIRMAN : I would like to mention that sufficient time is being given to all the hon. lady Members to speak on this issue. They are being given as much time as they like, and there is no restriction on it. Next is Shrimati Jayaprada.

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): Sir, I would like to lay my speech on the Table of the House. I am making a request because permission has not been given to do it.

MR. CHAIRMAN: Yes, you can lay your speech on the table of the House.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shrimati Jayaprada, you can come to the rows in the front and speak.

SHRIMATI JAYAPRADA Sir, with your permission, I would like to come to the rows in the front to speak.

MR. CHAIRMAN: If you want, you can come to the very first row also.

SHRIMATI JAYAPRADA : Thank you, Mr. Chairman, Sir.

महोदय, आज घरेलू उत्पीड़न विरोधी बिल पर चर्चा करने के लिए मैं यहां पर इस सदन में खड़ी हूँ। मैं शुरूआत कहां से करूं और कहां अन्त करूं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसे लेकर बहुत दुविधा में हूँ।

MR. CHAIRMAN: Shrimati Jayaprada, you can start from your home itself.

SHRIMATI JAYAPRADA : Sir, I am trying to do it.

महोदय, हम बचपन से यही सोचते हैं कि बड़े होकर समाज के लिए कुछ करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक सांसद के रूप में यहां आई हूँ और जब मैं राज्यसभा में थी, तब भी मैंने कहा था कि इस संसद को हम " टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी " कहते हैं। हम जब यहां आते हैं तो हमें गेट पर एक श्लोक लिखा देखते हैं :

"न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते यो न वदन्ति धर्मम्।

धर्म: स नो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यं न तद्यच्छलमभ्युपैति।"

महोदय, पुराने जमाने में यह वाक्य भरी सभा में द्रौपदी ने अपनी पहचान के लिए कहा lÉÉ[r83]।

[R84]

हमारे सामने यही दुविधा है कि स्त्री सम्पत्ति है। मैं यह बात कहते हुए उलझन में हूं कि समाज में जो कमजोर होता है, उस पर जुल्म किया जाता है। जहां लाचारी हो, मजबूरी हो या किसी पर निर्भरता हो, उस पर ज्यादा जुल्म होता है। मैं यह नहीं कहना चाहती कि समाज में स्त्री-पुरूा को अलग करना चाहिए। यह बहुत ही अहम बात है, जो बड़े लोग कहते हैं। जब एक औरत अपने पेट में बच्चा रखती है, तो वहीं से प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वह लड़का है या लड़की। लड़की पैदा होने के बाद वह हर रूप से परिवार की सेवा करना चाहती है। वह घर में एक मां बनकर प्यार दे सकती है, बेटी बनकर इज्जत दे सकती है, पत्नी बनकर सेवा कर सकती है और बहन बनकर सम्मान भी कर सकती है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब हम लोग छोटे से जानवर को भी पालते हैं, तो आखिर तक उसके प्यार पर न्यौछावर हो जाते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन

जब हम उस बच्ची को पालकर बड़ा करते हैं, तो उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। वह लड़की जब अपने मां-बाप का घर छोड़कर ससुराल जाती है, तो सारा कुछ भूलकर केवल ससुराल को ही अपनी दुनिया समझती है। मां-बाप भी उसे उसी अरमान से भेजते हैं, ताकि वह खुश रहे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। सुसराल जाते ही उसकी दुविधा शुरू हो जाती है और उस पर अत्याचार होने लगते हैं। वह अपने मां-बाप और भाई-बहन का घर छोड़कर वहां जाती है, जहां का माहौल उसके लिए पूरी तरह अनजान है और जहां उस पर अत्याचार होते हैं, उसे मारने की कोशिश की जाती है। आज उसके जीवन का इतना भी मूल्य नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एक मोटरबाइक के लिए, स्कूटर के लिए अत्याचार किया जाता है और उसकी जान इन चीजों से भी सस्ती समझ ली जाती है। यह किस प्रकार का अन्याय हम उसके साथ कर रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। हमने इसे रोकने के लिए कानून बनाए हैं और बनाने जा रहे हैं। उन कानूनों में सारी व्यवस्था है, लेकिन हम समाज का माइंडसेट नहीं बदल पाए। जब तक समाज का माइंडसेट नहीं बदलेगा, तब तक यह अत्याचार होता रहेगा।

कार्येु दासी, करणेु मंत्री

शयनेु रम्भा, भोज्येु माता, गृहणेु लक्ष्मी।

हम औरत को लक्ष्मी कहते हैं, मां कहते हैं। धरती को मां कहते हैं और औरत को जन्मदात्री कहते हैं, लेकिन वह महिला जो जन्म देती है, उसी पर अत्याचार करते हैं, उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। जब उस महिला को खत्म कर देंगे, तो फिर समाज नहीं रहेगा, यह युग नहीं रहेगा, क्योंकि फिर तो सारा युग ही खत्म हो जाएगा। अगर हम सृटि पर संकोच करेंगे, तो कहां रहेंगे! उसके लिए हमें आत्मनिर्भरता चाहिए। वह आत्मनिर्भरता तभी आएगी, जब महिला की अपनी पहचान होगी।

आज महिला बाहर जाकर काम करना चाहती है। आज समाज में महिला का बदला हुआ रूप हम देख रहे हैं। वह समाज में जाकर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है, लेकिन समाज वाले उसे अलाऊ नहीं कर रहे हैं। इसलिए बालिका के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं शहर की बात नहीं करती, आप गांव में जाएं, सभी सांसद इस बात को जानते हैं कि आज गांवों में एक भी गर्ल्स इंटर कालेज नहीं है[R85]।

वहां कितनी अशिक्षा है? महोदय, जब तक शिक्षा नहीं होगी, वे दूसरों पर निर्भर रहेंगे और सोचेंगे कि लड़का कुलदीप है, उसे पढ़ाना है, लड़का कुलदीप है, उसे ज्यादा आहार देना है। लड़की का क्या है, वह बाद में दूसरे घर चली जाएगी, वह पराया धन है। महोदय, यह मानसिकता कैसे बदलेगी, आप ही बताइए। एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूं कि जब हमारी मां हमें पेट में रखती है तो वह सोचती है और ससुराल में सभी पूछते हैं कि यह लड़का है या लड़की है, पहले आप पहचान करा लीजिए। अगर आप राजस्थान में सर्वे कराएंगे तो पता चलेगा कि वहां 115 साल के बाद बारात निकली है। इसका मतलब है कि वहां लड़की की जरूरत नहीं है - इस तरह की मानसिकता लोगों की है। मैं कह रही हूं कि कितने अरमान के साथ वह

ससुराल जाती है, लेकिन वहां उसे दहेज के लिए मार दिया जाता हैं, कभी सती के नाम पर उसे मार देते हैं और यह अभी भी हो रहा है। ऐसा बर्ताव गैर कानूनी है लेकिन यह अभी भी चल रहा है। इसे सुधारना बहुत ही जरूरी है।

इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहती हूं कि हम जिस सोसायटी में रहते हैं, उस सोसायटी में लड़कियों को शिक्षा के लिए, उसके कालेज जाने के लिए या काम पर जाने के लिए, जब बाहर भेजते हैं, तो कहां उसके लिए सुरक्षा है? वह बस में जाती है, वहां उसका रेप होता है। वह पुलिस स्टेशन जाती है इंसाफ पाने के लिए, लेकिन वहां रक्षक ही भक्षक बन जाता है। वहां उसके साथ अत्याचार होता है, उसका रेप करते हैं। ऐसी स्थिति में वह कहां जाए? आप देख रहे हैं कि एक पुलिस आफिसर उस महिला की रक्षा नहीं कर सकता, वह केस रजिस्टर नहीं कर सकता, तो वह कहां जाए? मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि देश में कानून और पुलिस की जो व्यवस्था है, उसमें बदलाव लाना जरूरी है। जो अधिकारी महिला के ऊपर अत्याचार करता है, उसका शोाण करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। उसे बता देना चाहिए कि अगर इस तरह के अत्याचार महिलाओं के ऊपर होते रहे, अगर वह महिलाओं के शोाण का कारण बनता है तो उसे सख्त से सख्त सजा देना जरूरी है और इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। मैं किसी को दोा नहीं देना चाहती हूं लेकिन जो हमारी कानून व्यवस्था है, उसे भी

एक्टिव करने की जरूरत है, क्योंकि 16 साल या 21 साल एक-एक केस चलेगा तो जो दोाी हैं वे बच कर बाहर निकल जाएगें और जो इंसाफ मांग रहा है, उसके हाथ तो निराशा ही लगेगी। आज मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि जब आपने इतना समय लोगों को बोलने के लिए दिया है, उसमें मैरिज इंस्टीट्यूट्स की बात करना जरूरी है।

महोदय, मैरिज मे, there are two individuals who have to keep respect for each other. Marriage has to be maintained with respect and decorum in the society. जब तक उस रिश्ते की इज्जत नहीं होगी, कोई कानून उस रिश्ते को बचा नहीं पाएगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि मैरिज इंस्टीट्यूशंस में लोग जब तलाक लेने के लिए जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? महिलाएं कभी खुशी से तलाक लेने के लिए नहीं जाती हैं। अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ कर जब वह तलाक लेने के लिए जाती हैं, वह बहुत पीड़ादायक होता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि हमारे समाज में, हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है, जहां हर परिवार के सभी सदस्य एकता के साथ, एक घर में रहना पसंद करते हैं। ऐसा पश्चिमी देशों में नहीं होता है, क्योंकि पश्चिमी देशों में मां-बाप को बड़े होने के बाद पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। वे लोग शादी में विश्वास नही करते हैं, लेकिन शादी का अरमान, शादी का सपना हर लड़की देखती है जबकि उसके ऊपर अत्याचार होता है। उसे दहेज के लिए, जायदाद के लिए टार्चर कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को सजा देना जरूरी है। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि इसमें जो पाजीटिव प्वायंटस हैं, वे लेने हैं[i86]।

यह बहुत ही सेंसिटिव बिल है। इसका गलत इस्तेमाल करने के भी चांसिस हैं। मैं कहना चाहती हूं कि हम अपने परिवार का, शादी का, गृहस्थी का और मैरिज इंस्टीट्यूशन का सम्मान करते हैं, इसलिए इसका दुरुपयोग न करें और इसका सही इस्तेमाल करें। हम सब महिलाओं को और हर महिला को इस बिल से फायदा उठाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। महिलाओं के उत्थान के लिए सारे समाज को उनका हाथ थामकर उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। हम अबला नहीं हैं, हम हर महिला में झांसी की रानी देखना चाहते हैं। महिला जिसमें झांसी की रानी का रूप है, उस पर जो आदमी अत्याचार करते हैं, अगर समाज में उसे दोाी ठहराएंगे तो यह मुसीबत नहीं आएगी।...(व्यवधान)

अंत में, मैं यह कहना चाहती हूं कि भारत जैसे देश में पैदा होने के नाते अबला कहना बहुत चिंता का विाय है। हम इस समाज में स्वा वलंबी हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि औरत को इतनी कमजोर भी न समझें। एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन लाकर, कानून में जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को एक्टिवेट करें ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिले।

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : माननीय सदस्या...(व्यवधान) आपको क्या हो गया? क्या बात नहीं कहने देंगे?...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने केवल राजस्थान में बालिकाओं पर अत्याचार की बात कही है, इसे हटा दिया जाना चाहिए, यह गलत है।

SHRI L. RAJAGOPAL As our Hon'ble Prime Minister mentioned in his inaugural speech, "every five years a million women are being elected to the Panchayats of our country. This large-scale mobilization of women in the public life of our country is an unprecedented event and it is the most important political intervention aimed at the empowerment of women anywhere in the world. We should salute Rajiv ji for launching this great journey of women's empowerment in India."

On one side, women are surging forward to reach greater heights everywhere in the world, in every sphere of life. But again on the other hand, we see violence targeted against women not only in our country but also in every corner of the world. According to USA statistics, every year approximately two million women are physically and sexually assaulted or stalked by an intimate partner in the USA.

In the United Kingdom, the police receive 1300 calls everyday for assistance from domestic violence. In any one day nearly 7000 women and children are sheltering from violence in the U.K.

Today I wish to discuss about domestic violence, the possible solutions and the required laws to be enforced.

Domestic violence which involves physical abuse such as hitting, punching, kicking, sexual abuse and psychological abuse like intimidation, threats, mind games, harassment, damaging property to hurt someone, allowing children to see or hear any domestic violence, controlling someone's money etc., are all serious crimes against society. Not only women but also children under 17 should be protected against domestic violence.

Thousands of people, especially women, are regularly beaten, tortured and in some cases killed by their spouses or co-habitants. Domestic violence occurs in all segments of social and economic backgrounds. There is a positive co-relation

---

* Speech was laid on the Table.

between spouse abuse and child abuse and even if children are not directly assaulted, they suffer deep and lasting emotional effects from exposure to domestic violence. Female foeticide, dowry death or harassment, mental and physical torture, sexual trafficking and public humiliation are also some other forms of violence against women.

Though widely prevalent, domestic violence is rather neglected in our country. Section 489 – A of the IPC, 1860 deals with offence, where a women faces cruelty from her husband or his relatives. But legislation should be brought to provide protection of victims of domestic violence and also at the same time preserve the family under civil law.

Marital violence mostly takes place in the privacy of the home, behind closed doors. A woman can not call upon any independent witnesses to testify in here favour and prove here case "beyond reasonable doubt".

With the increase of nuclear families in cities, and apartment mode of living no assistance or security is available to a city-based woman, who suffers behind the closed doors of her flat. The city scenario is worst than that of rural areas where there are Panchayats, or village elders who come to rescue or negotiate in case of acute domestic violence. Rural domestic violence is open and seen whereas the life of a battered women behind their doors in city doesn't come out as everybody lives in isolation. Educated and career focused women fear for their dignity and reputation, lack of elderly assistance and moral support.

In new Delhi, India, a brilliant doctor tries to commit suicide after her husband slaps her for contradicting him in from of his friends.

A former beauty queen tells police she was coerced into "entertaining other men" after being locked in a room without food for days by her husband.

In Bombay a neighbour responded to distress calls from a woman battered by her husband for refusing to let him watch a particular TV program in from of the children.

The wife of a highly placed bureaucrat finally speaks up after enduring years of physical and mental abuse for being unable to bear a child.

While the findings are not new, the study has incubated a new round of debate about the cultural underpinnings to domestic violence, especially in India, where the study found a woman's risk of being beaten, kicked or hit rose along with her level of education.

Of the women reporting violence, 50% were kicked, beaten or hit when pregnant. About 74.8% of the women who reported violence have attempted to commit suicide. Educated women are aware to their rights. They are no longer willing to follow commands blindly. When they ask questions, it causes conflicts, which, in turn, leads to violence.

In India, men have always been taught to perceive themselves as the superior sex, and nourished with a thought that they have to control their wives, especially if they are considered disobedient.

But, surprisingly incidence of sexual violence is found among highly educated men. 32% men with zero years of education and 42% men with one-to-five years of education resorted sexual violence. Among men with six-to-10 years of education –as well as those with higher education, this figure increases to 57%. In the lowest rungs of the socio-economic ladder – migrant labor, cobblers, carpenters, and barbers – sexual violence rate is 35%. The rate almost doubled to 61% among the highest income groups. Researchers have not determined why men with higher incomes and educations are more likely to be violent towards women.

Similarly, a study, based on police records, to evaluate the functioning of sections of the Indian Penal Code, conducted by a group of women activists associated with the Tata Institute of Social Sciences in Mumbai, indicated that 40 per cent of women were dead by the time their families came to lodge complaints against their violent husbands.

Thus, numerous women continue to suffer humiliation and battering, many even to the point of death, despite the existence of stringent laws in their favour.

On the other hand, there is a growing and widespread feeling that these laws are being used by most police officers and lawyers to help unscrupulous daughters-in law to hold their in-laws to ransom.

All these amendments placed draconian powers in the hands of the police without adequate safeguards against the irresponsibility of the enforcement machinery. The truth is that there were adequate provisions in the IPC Section 323, 324, 325 and 326 for use against anyone who assaults a woman or causes her injury. But the police would, in most cases, not register a complaint against a husband under these sections, even where there was clear evidence that the wife's life was in grave danger. This was partly because, as habitual users of

violence, policemen, more than any other section of our population, find it easy to condone beatings and even murder of wives by husbands.

The basic problem with the present laws dealing with domestic discord and marital abuse is that instead of providing effective remedies through civil laws, the whole matter has been put under the jurisdiction of criminal laws, with every draconian provisions to make their implementation stringent.

This is what scares many women from approaching the police or the courts for protection, because once they put their husbands behind bars, they know then that they are in a fight to the finish.

One of the tragedies of independent India is that we have not yet learnt to distinguish between reasonable and unreasonable laws, between implementable and unimplementable laws, just as we have failed to create a law-enforcement machinery capable of providing genuine recourse to all those whose rights have been violated.

However, if instances of manipulation of such laws become common, we will get less and less sympathy for the plight of women in our society. Those of us who are concerned about expanding the horizons of women's freedom and strengthening their rights, both within the family and in the public domain, ought to be taking note of these developments as they arise.

To bring down domestic violence the police force should play a vital role and for this purpose the individual police person should possess knowledge of the Act and an understanding of the process of domestic violence.

However, this Govt. under the able guidance of Smt. Sonia Gandhi, Chairperson, UPA, has brought relevant law today which addresses the lacuna in the existing Law for Domestic Violence.

Finally, I conclude by quoting Mahatma Gandhi's words that " Real Swaraj will come not only by acquisition of authority by few, but acquisition of Capacity by all to resist the authority when it is abused". I am sure this new law will tackle and punish the perpetuator of heinous crimes against women and will provide the required capacity to women to resist any kind of abuse at home or outside.

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

-

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, I have to inform the House that today in the meeting of the Business Advisory Committee, it was decided that in order to provide sufficient time for completion of essential Government business, the House might sit on Monday, the 29th and Tuesday, the 30th August, 2005. There will be no Question Hour on those days. I hope the House would agree to this.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Shrimati C.S. Sujatha. If you want to make speech from the front row, you are welcome. You are a fighting lady. You should make speech from the front row.

SHRIMATI C.S. SUJATHA Thank you, Sir. I would like to use this opportunity to congratulate the hon. Minister. It is a very important Bill. I rise in support of the Bill. This Bill is comprehensive in defining domestic violence - physical, mental, verbal, economic and sexual[R87].

For the first time, marital rape has been recognised as violence against women. I feel that the introduction of this Bill is a timely step taken by the Government, and almost all women organisations in the country welcomed the Bill. This Bill, indeed, is a sigh of relief to the lakhs of women across the country who suffer.

Sir, the term 'domestic violence' is not defined under the Indian laws. Remedies under the existing laws are only available to married women. The remedies that are available in the civil laws of divorce on the grounds of cruelty and the criminal laws that are directed towards the punishment of offenders, are both inadequate. There is no law in India that provides relief to women in situations of violence. This Bill is directed towards fulfilling this lacuna.

Researches reveal that more than 60 per cent of women face domestic violence at some point in their marred life. But it is a fact that though domestic violence is prevalent and rampant, it still remains invisible. There is no effective legal mechanism through which the victim could seek redressal of her grievances. In most cases, the victim suffers the pain and humiliation mutely for the fear of being rendered homeless. In wide range of cases, the women are blackmailed into withdrawing the cases on the question of custody of the children. On these aspects, the new clauses, which are added in the Bill making the perpetrator liable for ensuring accommodation of the victims and also granting temporary custody of children to the aggrieved woman, are laudable.

The proposed measures in ensuring adequate financial protection to the aggrieved is a positive step. There are instances that women are denied the legal help in cases where the formalities of marriage are not complied with. In many cases, women are induced to marry men who deliberately conceal their previous marriage. But this Bill effectively tries to plug this lacuna.

Sir, although the Bill is comprehensive and will benefit the women in the country in a big way in dealing with domestic violence, it is doubted that some of the provisions in the Bill would not be in the best interest. The appointment of Protection Officer will not bring the desired effect. There are apprehensions that this position of a third party is liable to be misused. It is possible that the position of the officer could provide space for corruption. So, while appointing the Protection Officer, the House should be assured that sufficient care will be taken so that the Protection Officer might not be a person of corrupt background, and he should be gender sensitive.

Another lacuna in the Bill is that only the registered NGOs are granted rights to provide services to the aggrieved women. But there are numerous women organisations dealing with this issue. In fact, it is the result of the consistent efforts of these organisations in making awareness among the people to struggle for such a legislation that the Bill has now been introduced. It is, therefore, essential that such organisations too are considered for providing services to the victims.

Sir, our experience is that merely making a legislation would not make much difference in the ground realities. Therefore, it is imperative to ensure sincere implemen